समाहरणालय, गढ़वा

(अनु0जा0, अनु0ज0जा0, अल्पसंख्यक एवं पि0वर्ग, कल्याण शाखा)

(अति अल्पकालिन निविदा) विज्ञापन सं0–02/2020–21

वित्तीय वर्ष 2020–21 में गढ़वा जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए पोशाक आदि सामग्रियों का आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के चयन के निमित अति अल्पकालीन निविदा विज्ञापन सं0–01/2020–21 को रद्द करने के पश्चात् पुर्न मुहरबंद निविदा दिनांक–06.07.2020 को अपराह्न 2.00 बजे तक जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा दिनांक–07.07.2020 को अपराह्न 12.00 बजे क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है। निविदादाताओं को निविदा से संबंधित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

सामग्रियों एवं निविदा की शर्तों की सूची :– पोशाक आदि सामग्रियों की सूची एवं निविदा से संबंधित शर्तों को **prdjharkhand.in** पर एवं गढ़वा जिला के Website (garhwa.nic.in) पर भी देखा जा सकता है। साथ ही जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा के सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

26/06/2020

उप विकास आयुक्त,
गढ़वा।

समाहरणालय, गढ़वा

(अनु0जा0, अनु0ज0जा0, अल्पसंख्यक एवं पि0वर्ग, कल्याण शाखा)

(अति अल्पकालिन निविदा)

पुर्न निविदा विज्ञापन सं0–02/2020–21/जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा में पोशाक आदि आपूर्ति से संबंधित अति अल्पकालीन निविदा सं0–01/2020–21 के कम में प्रकाशित निविदा की शर्तें निम्नवत है :–

(A) तकनिकी बीड की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा के पदनाम से 100000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। अन्य किसी तरीके से अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उनका निविदा रद्द समझा जायेगा।
2. निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2019–20 का Certified Audit Report देना अनिवार्य है, जिसमें वार्षिक Turnover 3000000.00 (तीस लाख) हो।
3. निविदादाताओं को दूकान/प्रतिष्ठान का GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को उपायुक्त स्तर का अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ निविदादाताओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 सहित विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न
6. पैन कार्ड का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. निविदादाताओं को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले के वाणिज्यकर विभाग से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाताओं का उद्योग विभाग से निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. निविदा के साथ काली सूची मे नाम दर्ज नहीं रहने का अद्यतन शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य होगा।

(B) वित्तीय बीड :–

(i) निविदादाताओं को पोशाक आदि सभी सामग्रियों के लिए मो0–2500/– रू0 मात्र पैकेज के अन्तर्गत सामग्रीवार सभी कर सहित एक हीं दर (कम्प्यूटर से प्रिंट) देना होगा। किसी भी स्थिति में दो दर वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे रद्द समझा जायेगा।

(C) निविदा की अन्य शर्तें :–

1. निविदादाताओं को पोशाक आदि सामग्री का मो0–2500/– रू0 मात्र के अन्तर्गत सभी कर सहित सामग्रीवार दर अंकित करना होगा। स्वीकृत दर पर अलग से कोई कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. क्रय समिति के समक्ष सर्व प्रथम तकनीकि बीड खोला जायेगा। तकनिकी बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में बन्द करते हुए एक बड़ा लिफाफा में पुनः मुहरबंद करते हुए देना होगा। वित्तीय बीड कम्प्यूटर से प्रिंट होना अनिवार्य है।
3. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित आवासीय विद्यालय में पहुँचाकर करना होगा, जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का हथालन एवं परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
4. कय समिति के समक्ष पोशाक आदि सामग्रियों का नमूना यथा–एक जोड़ा पैन्ट–शर्ट, एक जोड़ा सलवार–समीज एवं ब्लेजर के लिए कपड़ा (थान का) का नमूना एवं शेष सामग्रियों का बना–बनाया (Readymade) नमूना प्रस्तुत करना होगा। साथ ही एक सामग्री का एक ही नमूना मान्य होगा।
5. निविदादाता को आपूर्ति आदेश निर्गत के पश्चात् के 30 दिनों के अन्दर छात्र को एक जोड़ा फूल पैन्ट– फूल शर्ट, ब्लेजर तथा छात्राओं को एक जोड़ा सलवार–समीज एवं ब्लेजर छात्र/छात्राओं के नाप के अनुसार सिलाई कराकर तथा अन्य Readymade सामानों को भी नाप के अनुसार आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति के पश्चात् अभिश्रव/विपत्र दो प्रति में संबंधित प्रधानाध्यापक के सत्यापनोपरान्त जिला कल्याण कार्यालय, गढ़वा में समर्पित करना होगा, जिसे जिला कल्याण पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित कर आवंटन उपलब्ध होने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
6. पोशाक आदि सामग्रियां पैकेज में मो0–2500 (दो हजार पांच सौ) रूपये के अन्तर्गत **छात्र के लिए** एक जोड़ा फूल पैंट एवं फूल शर्ट, नाईट–ड्रेस, ब्लेजर, स्पोर्ट ड्रेस, स्लीपर, अन्तः वस्त्र, स्कूल बैग, जूता–मोजा, स्वेटर एवं टाई–बेल्ट तथा **छात्राओं के लिए** एक जोड़ा सलवार–समिज, नाईट ड्रेस, ब्लेजर, स्पोर्ट ड्रेस, स्लीपर, अन्तः वस्त्र, स्कूल बैग, जूता–मोजा, स्वेटर एवं टाई–बेल्ट संलग्न सूची के अनुरूप आपूर्ति आदेश में निर्गत रंग एवं पोशाक का स्वरूप आदि के अनुसार देना होगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या सिंगल आईटम को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. चयनित आपूर्तिकर्ता को 100 रू0 का नन–जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

26/06/2020

उप विकास आयुक्त,
गढ़वा।